

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 294/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 19.09.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 19.09.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना मुबारकपुर : दुष्कर्म के फर्जी मुकदमें में फंसाने के नाम पर फ्राड हुए 80,000/- रुपये वापस कराये गये।

अवगत करना है कि दिनांक 22.07.2024 को आवेदक प्रशांत कुमार यादव पुत्र दीपचन्द यादव निवासी ग्राम सुराई थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मुबारकपुर पर प्रा0 पत्र दिया गया था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके आवेदक के भाई जो विदेश में रहते हैं उसको दुष्कर्म के मुकदमें में फंसाने की झूठी बात बताकर आवेदक को डरा धमा कर कुल 80,000/- रुपये की ठगी कर लिया। जिसके सम्बन्ध में कम्प्यूटर ऑपरेटर मेहताब आलम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराया गया।

रूपया वापसी का विवरण- पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा साइबर ठगी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कम्प्यूटर ऑपरेटर मेहताब आलम मय टीम द्वारा एनसीआरपी पोर्टल व साइबर सेल की मदद से फ्राड के खाता (UNION BANK OF INDIA) में रुपये होल्ड कराया गया तथा दिनांक 03.08.2024 को मु0अ0सं0- 300/2024 धारा 318(4) BNS व 66D आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

➡ जिसके क्रम में मा0 न्यायालय आजमगढ़ से रुपये वापसी का आदेश प्राप्त कर (UNION BANK OF INDIA) के नोडल अधिकारी को जरिये मेल प्रेषित किया गया तथा दिनांक 18.09.2024 को आवेदक प्रशांत कुमार यादव के बैंक खाता में कुल 80,000/- रूपया (REFUND) अवमुक्त कराया गया।

रुपये वापस कराने वाली पुलिस टीम- निरीक्षक अपराध अखिलेश कुमार शुक्ल, कम्प्यूटर ऑपरेटर मेहताब आलम, महिला आरक्षी दीक्षा मिश्रा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।



02. थाना अहरौला: अपहरण करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 होण्डा सिटी वाहन बरामद ।

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 18-09-2024 को वादिनी मुकदमा ने थाना अहरौला पर तहरीर दिया कि दिनांक 17.09.2024 को शाम के समय वादिनी की 02 पुत्रियां शौच के लिये खेत में जा रही थी कि विपक्षी हिमांशु S/O राधेश्याम ग्राम मित्तपुर भितौरा थाना पवई जनपद आजमगढ़ व तीन अन्य अज्ञात लोगो ने वादिनी की लड़कियों को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा कर भागने लगे तथा गाड़ी रोकने पर धक्का मार के घायल कर दिये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 401/2024 धारा 115(2)/137(2) बीएनएस बनाम 1. हिमांशु पुत्र राधेश्याम ग्राम मित्तपुर भितौरा थाना पवई जनपद आजमगढ़ 2. तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 18.09.2024 को उ0नि0 राकेश कुमार तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 03 अभियुक्तो 1. हिमांशु पुत्र राधेश्याम गौतम निवासी मित्तपुर भितौरा थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष, 2. साहिल पुत्र हिरालाल निवासी साजुपुर थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर हला पता मित्तपुर भितौरा थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष, 3. अंगद पुत्र शिवपुजन निवासी मित्तपुर भितौरा थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष व 02 पीड़िता को कम्पोजिट विद्यालय गढा से बरामद/गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया।



03. थाना- कप्तानगंज: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 11.09.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक- 20.08.2024 को विपक्षी राजेश निषाद पुत्र केदार निषाद ग्राम टहरकिशुनदेवपुर थाना कप्तानगंज आजमगढ़ द्वारा वादिनी के नाबालिग पुत्री के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाकर अश्लील वीडियो बना लिया गया तथा वीडियो को वायरल करने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-282/24 धारा-64,351(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट व 67-A आईटी एक्ट पंजीकृत हुआ। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पाल द्वारा की जा रही है। अब तक की विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 BNS का लोप करते हुए धारा 70 BNS की बढ़ोत्तरी की गयी तथा एक अन्य अभियुक्त अरविन्द निषाद पुत्र गयादीन निषाद का नाम प्रकाश में आया है तथा मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त राजेश निषाद पुत्र केदार निषाद व प्रकाश में आए अभियुक्त अरविन्द निषाद पुत्र गयादीन निषाद निवासीगण ग्राम टहरकिशुनदेवपुर थाना कप्तानगंज आजमगढ़ के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 19.09.2024 को प्रभारी निरीक्षक मय हमराह का0अजय कुमार व का0देवकीनन्दन पाल व का0 विकास सिंह के मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. राजेश निषाद पुत्र केदार निषाद उम्र करीब 24 वर्ष व 2. अरविन्द निषाद पुत्र गयादीन निषाद उम्र करीब वर्ष को 21 वर्ष निवासीगण ग्राम टहरकिशुनदेवपुर थाना कप्तानगंज आजमगढ़ से नियमानुसार समय करीब 12.15 बजे ग्राम छाता का पुरा में छाताकापुरा अण्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया।



04.थाना सिधारी: चोरी की 04 घटनाओं का अनावरण; चोरी के जेवरात, एक मोटरसाइकिल, अन्य सामान व अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक शातिर अपराधी गिरफ्तार ।

गिरफ्तारी का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 18.09.2024 को उ0नि0 राजीव कुमार सिंह, उ0नि0 विधनेश वर्मा, मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त प्यारेलाल प्रजापति पुत्र लालचन्द प्रजापति निवासी मीरपुर थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर बताया उम्र 46 वर्ष को 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 एलसीडी टीवी, 01 एण्ड्रायड मोबाइल फोन, 01 जोड़ी सफेद धातु पायल, 01 जोड़ी सफेद धातु बिछिया व 01 पीली धातु चैन व नगद 58000/- रुपये व घटना में प्रयुक्त एक अपाची मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ का विवरण-

➔ गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मेरे द्वारा स्मार्ट बाजार नरौली के पास से एक ग्लैमर मोटर साइकिल चोरी किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 201/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत है ।

➔ घोरठ मोहल्ले के एक घर से रात में पैसा व जेवरात चोरी किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 330/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस पंजीकृत है ।

➔ छतवारा बाजार से 03 मोबाइल फोन चोरी करना स्वीकार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 220/24 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत है ।

➔ तरवां के खरियानी से सहज जन सेवा केन्द्र से एलसीडी व अन्य सामान चोरी करना स्वीकार किया जिसके सम्बन्ध में थाना तरवां पर मु0अ0सं0- 257/24 धारा 305/331(4) बीएनएस व पंचायत भवन खरियानी से चोरी होने के सम्बन्ध में थाना तरवां पर मु0अ0सं0- 136/24 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत है ।

➔ गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सिधारी पर अभियुक्त प्यारेलाल प्रजापति उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 358/24 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 358/24 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना सिधारी आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- 230/21 धारा 380/411/414/457 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 39/23 धारा 174ए भादवि थाना देवगांव
3. मु0अ0सं0- 353/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना देवगांव
4. मु0अ0सं0- 168/19 धारा 380/411/457 भादवि थाना कासिमाबाद गाजीपुर
5. मु0अ0सं0- 183/19 धारा 379/411 भादवि थाना कासिमाबाद गाजीपुर

- 6.मु0अ0सं0- 846/15 धारा 380/457 भादवि थाना बहरियाबाद गाजीपुर
- 7.मु0अ0स,0- 1327/16 धारा 307/457/511 भादवि थाना सादियाबाद गाजीपुर
- 8.मु0अ0सं0- 94/19 धारा 380/411/457 भादवि थाना चिरैयाकोट मऊ
- 9.मु0अ0सं0- 369/19 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना मोहम्मदाबाद मऊ
- 10.मु0अ0सं0- 452/21 धारा 380/457/413 भादवि थाना चौबेपुर वाराणसी
- 11.मु0अ0सं0- 710/10 धारा 380 भादवि थाना तरवां आजमगढ़
12. मु0अ0सं0- 1399/16 धारा 380/411/457 भादवि थाना चिरैयाकोट मऊ
13. मु0अ0सं0- 35/14 धारा 380/411 भादवि थाना शादात गाजीपुर
- 14.मु0अ0सं0- 857/16 धारा 20/8 एनडीपीएस एक्ट थाना चिरैयाकोट मऊ
- 15.मु0अ0सं0- 519/21 धारा 380/411/457 भादवि थाना चौबेपुर वाराणसी
- 16.मु0अ0सं0- 141/19 धारा 380/411/414/457 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
- 17.मु0अ0सं0- 142/19 धारा 380/411/414/457 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
- 18.मु0अ0सं0- 183/17 धारा 380/457 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
- 19.मु0अ0सं0- 135/23 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर थाना देवगांव आजमगढ़
- 20.मु0अ0सं0- 106/23 धारा 379/411/413/427 भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ़
21. मु0अ0सं0- 182/19 धारा 380/411 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़
- 22.मु0अ0सं0- 124/21 धारा 380/411/457 भादवि थाना जंगीपुर गाजीपुर
- 23.मु0अ0सं0- 752/16 धारा 380/411/457 भादवि थाना जंगीपुर गाजीपुर
- 24.मु0अ0सं0- 95/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बहरियाबाद गाजीपुर
- 25.मु0अ0सं0- 161/17 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर थाना बहरियाबाद गाजीपुर
- 26.मु0अ0सं0- 779/16 धारा 380/411/414 भादवि थाना बहरियाबाद गाजीपुर
- 27.मु0अ0सं0- 801/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बहरियाबाद गाजीपुर
28. मु0अ0सं0- 576/15 धारा 380/457/411 भादवि थाना मरदह गाजीपुर
- 29.मु0अ0सं0- 500/21 धारा 380/411/414/427/457 भादवि थाना कोपागंज मऊ
- 30.मु0अ0सं0- 221/21 धारा 41/411/414 भादवि थाना चिरैयाकोट मऊ
- 31.मु0अ0सं0- 222/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिरैयाकोट मऊ
- 32.मु0अ0सं0- 176/24 धारा 380/411/457 भादवि थाना मोहम्मदाबाद मऊ
- 33.मु0अ0सं0- 179/24 धारा 380/411/457 भादवि थाना मोहम्मदाबाद मऊ
- 34.मु0अ0सं0- 181/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 307/504 भादवि थाना मोहम्मदाबाद मऊ
- 35.मु0अ0सं0- 290/19 धारा 380/411/414/457 भादवि थाना मोहम्मदाबाद मऊ
- 36.मु0अ0सं0- 293/19 धारा 41/411/414/420/467/468/471 भादवि थाना मोहम्मदाबाद मऊ
- 37.मु0अ0सं0- 216/18 धारा 380/411/457 भादवि थाना रानीपुर मऊ
- 38.मु0अ0सं0- 449/110 थाना तरवां आजमगढ़
- 39.मु0अ0सं0- 725/10 थाना तरवां आजमगढ़
40. मु0अ0सं0 358/24 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना सिधारी आजमगढ़
- 41.मु0अ0सं0- 201/24 धारा 379/411/413 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
- 42.मु0अ0सं0- 220/24 धारा 457/380/411/413 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
43. मु0अ0सं0- 330/24 धारा 331(4)/305/317(2)/317(4) बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ़
44. मु0अ0सं0- 257/24 धारा 305/331(4)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना तरवां आजमगढ़
- 45.मु0अ0सं0- 136/24 धारा 457/380/411/413 भादवि थाना तरवां आजमगढ़



05. थाना- बरदह: अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक- 19.09.2024 को उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान दो व्यक्ति दीपक राजभर पुत्र रमेश राजभर निवासी ग्राम पिपरौला थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ 2. निलेश यादव पुत्र रजई यादव निवासी ग्राम पिपरौला दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को एक तमन्चा 315 बोर व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक मो0सं0 नं0 UP32JM3487 के साथ समय 08.30 बजे बर्ना नहर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0 299/2024 धारा 317(2),317(5),318(4) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

आपराधिक इतिहास-

1. दीपक राजभर पुत्र रमेश राजभर निवासी ग्राम पिपरौला थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 04/19 धारा 120बी/201/302/394/411 भादावि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 99/19 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 128/21 धारा 379 भादावि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 140/21 धारा 379/411/414/420/467/468/471 भादावि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 245/22 धारा 3/24 आर्म्स एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 127/2024 धारा 379 भादावि थाना बरदह जनपद आजमगढ़
7. मु0अ0सं0 299/2024 धारा 317(2),317(5),318(4) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़
8. मु0अ0सं0 560/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना मढियांव जनपद लखनऊ
9. मु0अ0सं0 298/24 धारा 351(2)/352 बीएनएस थाना बरदह जनपद आजमगढ़

2. निलेश यादव पुत्र रजई यादव निवासी ग्राम पिपरौला दीदारगंज जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 04/19 धारा 120बी/201/302/394/411 भादावि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 99/19 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 140/17 धारा 147/323/325/452/504/506 भादावि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 320/12 धारा 307 भादावि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 127/2024 धारा 379 भादावि थाना बरदह जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 299/2024 धारा 317(2),317(5),318(4) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़
7. मु0अ0सं0 560/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना मढियांव जनपद लखनऊ
8. मु0अ0सं0 298/24 धारा 351(2)/352 बीएनएस थाना बरदह जनपद आजमगढ़



06. थाना फूलपुर: 06 वारण्टी गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण –

अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ द्वारा चलाये गये अभियान वारण्टी गिरफ्तारी के क्रम में उ0नि0 जय प्रकाश पाण्डेय मय हमराह द्वारा मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के पत्रांक क्रमशः 903/904/905/906/सी0जे0एम0 आजमगढ़ दिनांक 17.9.2024 फौजदारी अपील संख्या क्रमशः 3810/2012,4534/2012, 3994/2012,3993/2012 अ0स0443/05 धारा 147/148/302/307/504/506 भादवि तारीख पेशी 19.9.2024 मे अभि0गण 1. विनोद चौहान पुत्र सुरेश उर्फ राम सुरेश 2.हरगोविन्द चौहान पुत्र सुरेश उर्फ राम सुरेश 3.प्रेमी चौहान पुत्र श्याम विहारी चौहान 4.अवधेश चौहान पुत्र रामपलट चौहान निवासीगणग्राम मुहचुरा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध निर्गत वारण्ट की तामिला हेतु वारण्टीगण उपरोक्त के घर दबिश दिया गया वारण्टीगण 1.विनोद चौहान पुत्र सुरेश उर्फ राम सुरेश 2.हरगोविन्द चौहान पुत्र सुरेश उर्फ राम सुरेश 3.प्रेमी चौहान पुत्र श्याम विहारी चौहान निवासीगणग्राम मुहचुरा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ अपने अपने घर के बाहर मौजूद मिले जिन्हे मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत वारण्ट दिखाकर/अवगत कराकर समय 07.35 बजे बजासा बकायदा हिरासत पुलिस मे लिया गया । व उ0नि0 श्री जय प्रकाश पाण्डेय मय हमराह द्वारा मा0 ग्राम न्यायालय फूलपुर आजमगढ़ द्वारा निर्गत NBW मु0नं0 514/24 NCR 28/03 धारा 323,504 IPC ता0पेशी 19.09.24 थाना फूलपुर आजमगढ़ से सम्बन्धित वारण्टीगण 1. इशहाक पुत्र सुवराती उम्र करीब 50 वर्ष 2. जियाउद्दीन पुत्र कुतुबुद्दीन उम्र करीब 32 वर्ष 3. गुलशाना पत्नी इसहाक निवासीगण अंजान शहीद थाना फूलपुर आजमगढ़ को मुखबीर खास सूचना पर वारण्टीगण उपरोक्त के घर पर दबिश दी गयी तो वारण्टीगण घर पर मौजूद मिले कारण गिरफ्तारी बताकर नाम पता वारण्ट से मिलान कर समय 10.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

